



जयपुर विद्युत वितरण निगम लि.

क्रमांक जेपीडी/कार्मिक/तक.सं./प.23(113)/प्रे.445 जयपुर, दिनांक 24/4/07

आ दे श

कर्मचारियों की सेवा-पुस्तिका में दर्ज जन्म-तिथि में अनाधिकृत रूप से हेर-फेर अथवा काट-छांट रोकने के उद्देश्य से परिपत्र क्रमांक राराविम/वि.एवं.नि./प्रे.24 दिनांक 17.7.96 तथा आदेश क्रमांक जयपुर डिस्कॉम/कार्मिक/प्रे.106 दिनांक 30.1.2001 द्वारा निर्देश प्रसारित किए गये थे कि कार्यालयध्यक्ष के स्तर पर सेवा-पुस्तिका में दर्ज की गई जन्म-तिथि का सत्यापन किया जावे व दर्ज जन्म-तिथि में कोई भी परिवर्तन करने से पहले अध्यक्ष की पूर्वानुमति ली जावे तथा साथ ही ऐसे प्रकरण जिनमें पूर्व में सेवा-पुस्तिका में दर्ज जन्म-तिथि में यदि कोई काट-छांट या परिवर्तन किया गया है तो वे अध्यक्ष महोदय की अनुमति हेतु इस कार्यालय को प्रेषित किये जावें।

यह देखने में आया है कि उक्त निर्देशों की कार्यालयाध्यक्षों द्वारा पूर्णरूपेण पालना नहीं की जा रही है तथा बिना किसी आधार के जन्म-तिथि में, उनके स्तर पर परिवर्तन किया जा रहा है एवं ऐसे प्रकरण जिनमें पूर्व में परिवर्तन किया गया है, संबंधित कर्मचारी की सेवा-निवृत्ति अथवा मृत्यु के बाद अध्यक्ष की स्वीकृति हेतु प्रेषित किये जाते हैं, जिससे संबंधित कर्मचारी का पेंशन प्रकरण लम्बित होता है।

ऐसे प्रकरणों पर पूर्णतया अंकुश लगाने के उद्देश्य से, समस्त कार्यालय अध्यक्षों को पुनः निम्न निर्देश दिये जाते हैं कि :-

1. वे अपने अधीन कार्यरत समस्त कर्मचारियों की सेवा-पुस्तिका में प्रविष्ट की गई जन्म-तिथि का 15 दिवस की अवधि में, पुनः सत्यापन मय अपने हस्ताक्षर, दिनांक तथा मुहर के करेंगे।
2. यदि किसी कर्मचारी की सेवा-पुस्तिका में पूर्व में कोई काट-छांट की गई है, तो ऐसा प्रकरण मय सम्पूर्ण जानकारी के संबंधित अधीक्षण अभियन्ता/क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता/मुख्य अभियन्ता/विभागाध्यक्ष को तुरन्त प्रेषित करें।
3. ऐसे प्रकरण प्राप्त होने पर, संबंधित अधीक्षण अभियन्ता/क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता/मुख्य अभियन्ता/विभागाध्यक्ष के स्तर पर, यह देखा जायेगा

MPS

कि जन्म-तिथि में परिवर्तन अथवा काट-छांट कर्मचारी को अनुचित लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से किया गया है अथवा परिवर्तन का कोई उचित आधार है? यदि जन्म-तिथि में परिवर्तन कर्मचारी को अनुचित लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से अथवा उसकी मिलीभगत से नहीं किया गया है तो संबंधित अधिकारी के स्तर पर परिवर्तन की स्वीकृति जारी की जाकर, उसकी एक प्रति मय पूर्ण विवरण के इस कार्यालय को प्रेषित की जावेगी।

4. ऐसे प्रकरण जिनमें जन्म-तिथि में परिवर्तन अथवा काट-छांट कर्मचारी को अनुचित लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से किया गया है, वे संबंधित अधीक्षण अभियन्ता/क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता/मुख्य अभियन्ता/विभागाध्यक्ष द्वारा तुरन्त इस कार्यालय को मय सम्पूर्ण रिकार्ड तथा अनुचित रूप से परिवर्तन/काट-छांट करने वाले अधिकारी/कर्मचारी के नाम व पते के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक की स्वीकृति/निर्णय हेतु प्रेषित किये जावें।

उक्त दिशा-निर्देशों की अवहेलना करने तथा भविष्य में किसी भी कर्मचारी की सेवा-पुस्तिका में दर्ज जन्म-तिथि में अनुचित रूप से परिवर्तन अथवा काट-छांट करने वाले अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध सख्त अनुशासनिक कार्यवाही की जावेगी।

आदेशानुसार,

(जी.आर.शर्मा) 24/4/02
मुख्य कार्मिक अधिकारी

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. मुख्य/क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता(), ज.वि.वि.नि.लि., _____।
2. वित्तीय सलाहकार एवं लेखा नियंत्रक, ज.वि.वि.नि.लि., जयपुर।
3. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक(सर्तकता), ज.वि.वि.नि.लि., जयपुर।
4. सचिव(प्रशासन), ज.वि.वि.नि.लि., जयपुर।
5. मुख्य लेखाधिकारी ज.वि.वि.नि.लि., जयपुर।
6. अधीक्षण अभियन्ता (), ज.वि.वि.नि.लि., _____।
7. कम्पनी सचिव, ज.वि.वि.नि.लि., जयपुर।
8. वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी (), ज.वि.वि.नि.लि., _____।
9. वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी/कार्मिक अधिकारी (), ज.वि.वि.नि.लि., _____।
10. अधिशासी अभियन्ता (), ज.वि.वि.नि.लि., _____।
11. सहायक अभियन्ता (), ज.वि.वि.नि.लि., _____।
12. उप/सहायक सचिव (), ज.वि.वि.नि.लि., जयपुर।
13. निजि सहायक, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, ज.वि.वि.नि.लि., जयपुर।
14. सूचना पट्ट ।

RPS Mathur

(एन.एस.नाथावत)
कार्मिक अधिकारी (तक.सस्था.)